


1245

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-2
संख्या-1590/IV(2)-श0वि0-14-68(सा0)/14
देहरादून : दिनांक - सितम्बर, 2014
कार्यालय ज्ञापि



भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत संचालित "स्वच्छ भारत अभियान" के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु निम्नवत समितियों का गठन किया जाता है:-
राज्य स्तरीय समिति:-

- | | |
|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव। | अध्यक्ष। |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास। | सदस्य। |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास। | सदस्य। |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, | सदस्य। |
| 5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। | सदस्य। |
| 6. प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल। | सदस्य। |
| 7. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन। | सदस्य। |
| 8. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन। | सदस्य। |
| 9. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा। | सदस्य। |
| 10. पुलिस महानिदेशक। | सदस्य। |
| 11. महानिदेशक सूचना। | सदस्य। |
| 12. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय। | सदस्य-सचिव |

दिनांक 12-11-2014

प्रमुक्तता
राज्य नगरीय विकास अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून

542

131114

जिला स्तरीय समिति :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. मा0 मेयर, नगर निगम, जिला मुख्यालय | अध्यक्ष। |
| 2. जिलाधिकारी □ | सह अध्यक्ष। |
| 3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक। | सदस्य। |
| 4. जिला मुख्यालय के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी। | सदस्य। |
| 5. जिला शिक्षा अधिकारी। | सदस्य। |
| 6. मुख्य चिकित्साधिकारी। | सदस्य। |
| 7. अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम। | सदस्य। |
| 8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी। | सदस्य। |
| 9. जिला पर्यटक अधिकारी। | सदस्य। |
| 10. जिला सूचना अधिकारी। | सदस्य। |
| 11. अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, समस्त नगर निकाय। | सदस्य। |

□ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला मुख्यालय की स्थिति में समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा सहअध्यक्ष संबंधित जिला मुख्यालय के नगर निकाय के अध्यक्ष होंगे।

DD/PO

to circulate 9/11

3/11/14

S. Mathpal

13/11/14
PO

“स्वच्छ भारत अभियान” हेतु जिला स्तरीय समितियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन/ आयोजन हेतु यथावश्यक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस हेतु समिति सदस्यों में से एक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा।

3- जिला स्तरीय समितियों द्वारा अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से जनपद स्तर पर आयोजित प्रत्येक दिन की गतिविधियों व कार्यवाही से शहरी विकास निदेशालय को अवगत कराया जायेगा। इस हेतु समस्त गतिविधियों के फोटोग्राफस, विडियो रिकार्डस, आलेख इत्यादि निदेशालय की ई-मेल directorsudauk@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी।


4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक शहरी विकास द्वारा जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रगति का विवरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा समिति द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं कार्ययोजना पूर्व में शासनादेश संख्या-1550/IV(2)-श0वि0-14-68(सा0)/14, दिनांक-24 सितम्बर 2014 तथा 1557/IV(2)-श0वि0-14-68(सा0)/14, दिनांक-26 सितम्बर 2014 द्वारा जारी किये जा चुके हैं, जो कि शहरी विकास विभाग की वेबसाइट- www.udd.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

1
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-1590/IV(2)-श0वि0-14-68(सा0)/14, तददिनांकित।
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास को सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा को सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल को सूचनार्थ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन को सूचनार्थ।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन को सूचनार्थ।
9. पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ।
10. महानिदेशक सूचना को सूचनार्थ।
11. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सूचनार्थ।
12. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्तानुरूप समिति गठन हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।